

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा
29/2020

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट
रज्जु दिनांक
03.06.2020

निर्णय दिनांक
01.07.2020

उनवान सरकार बनाम किशोरी पुत्र चुन्नी लाल जाति खाती निवासी ढाकामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का झांझा ने सम्वत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वाके ग्रम ढाकामाण्डी की राजकीय भूमि ख0न0 175 कुल रकबा 4.17 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी किशोरी पुत्र चुन्नी लाल जाति खाती निवासी ढाकामाण्डी ने अवैध रूप से छड़ी व रूड़ी डालकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश किया गया, जो शामिल गिसल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में छड़ी व रूड़ी डालकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से छड़ी व रूड़ी डालकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 6.78/- का अतिक्रमण शुदा लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50.00/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/वेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

रा.ले. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 71
पर 50/ की मांग कायम की गई।

(मांगेराम् पूनिया)
तहसीलदार बुहाना

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना